Australian Electoral Commission

मतदान के लिए अपना नामाँकन कैसे करें

पढ़ने में आसान मार्गदर्शिका

Easy Read

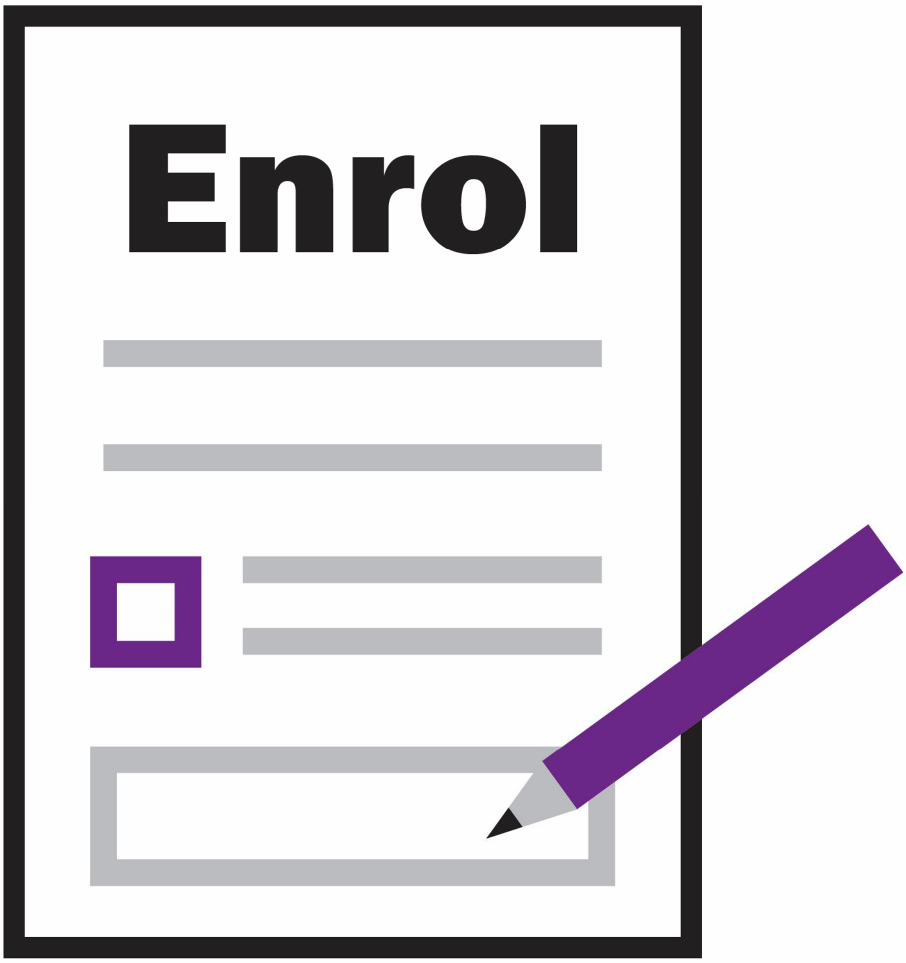

इस मार्गदर्शिका का उपयोग कैसे करें

ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग (एईसी) ने यह मार्गदर्शिका तैयार की है। जब आपको 'हम' शब्द या इसका कोई प्रारूप दिखाई देता है, तो इसका अर्थ एईसी है।

हमने इस मार्गदर्शिका को पढ़ने में आसान तरीके से लिखा है।

कुछ विचारों को समझाने के लिए हमने चित्रों का प्रयोग किया है।

हमने कुछ शब्दों को **बोल्ड अक्षरों** में लिखा है। हम इन शब्दों के अर्थ समझाएँगे। पृष्ठ 16 पर इन शब्दों की एक सूची दी गई है।

आप इस मार्गदर्शिका को पढ़ने के लिए सहायता ले सकते/सकती हैं। कोई मित्र, परिवार का सदस्य या समर्थन व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है।

इस मार्गदर्शिका में क्या दिया गया है?

चुनाव में मतदान करना	4
मतदान के लिए अपना नामाँकन करना	6
आगे क्या होगा?	12
यदि आपका पता बदल जाए, तो क्या होगा?	13
क्या आपका नाम पहले से ही मतदाता सूची में है?	14
शब्द सूची	16
हमसे संपर्क करें	17

चुनाव में मतदान करना

ऑस्ट्रेलिया में लगभग हरेक 3 सालों में **संघीय चुनाव** आयोजित किए जाते हैं।

संघीय चुनाव पूरे देश के लिए होता है।

इसके माध्यम से हम ऑस्ट्रेलिया की सरकार का चुनाव करते हैं।

गवर्नर-जनरल चुनाव की तिथि का चयन करते हैं। चुनाव शनिवार के दिन आयोजित किए जाते हैं।

उस दिन ऑस्ट्रेलियाई नागरिक **मतदान** करेंगे।

जब आप मतदान करते/करती हैं, तो आप इस बात का चयन करने में सहायता देते/देती हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार का हिस्सा कौन बनेगा।

आपके लिए मतदान करना अनिवार्य है, यदि आप:

- एक ऑस्ट्रेलियाई **नागरिक** हैं

  और

- आपकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है।

नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे अपने निवास के देश के अधिकार और स्वतंत्रताएँ दी जाती है।

मतदान करके आप इस बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकते/सकती हैं कि हमारे देश का संचालन कौन करेगा।

यदि आपने पहले कभी मतदान नहीं किया है, तो चिंता न करें।

हम समझाएँगें कि आपको क्या करना है।

मतदान के लिए अपना नामाँकन करना

मतदान करने से पहले आपको अपना **नामाँकन** करना होगा।

जब आप अपना नामाँकन करते/करती हैं, तो हम **मतदाताओं** की एक सूची में आपका नाम दर्ज करते हैं – वे लोग जो मतदान कर सकते हैं।

इस सूची को **मतदाता सूची** कहा जाता है।

मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आपको एक नामाँकन फॉर्म भरना होगा।

यदि आपकी आयु लगभग 18 वर्ष है, तो आप अभी अपना नामाँकन कर सकते/सकती हैं।

आपकी आयु 18 वर्ष हो जाने पर आप मतदान करने के लिए तैयार होंगे/होंगी।

आप निम्नलिखित तरीकों से नामाँकन फॉर्म भर सकते/सकती हैं:

- ऑनलाइन
- कागज़ पर।

आप किसी भी समय मतदान के लिए अपना नामाँकन कर सकते/सकती हैं।

लेकिन आपको चुनाव में मत देने के लिए मतदाता सूची का अंतिम स्वरूप निर्धारित किए जाने से पहले अपना नामाँकन करना होगा।

गवर्नर-जनरल द्वारा मतदान की तिथि निर्धारित किए जाने के 1 सप्ताह बाद मतदाता सूची में और कोई नामांकन नहीं किए जा सकते हैं।

यदि आप मतदाता सूची का अंतिम स्वरूप निर्धारित किए जाने से पहले अपना नामाँकन कर लेते/लेती हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी।

ऑनलाइन नामाँकन करना

मतदान के लिए अपना ऑनलाइन नामाँकन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.aec.gov.au/enrol पर जा सकते/सकती हैं। वहाँ एक बटन पर लिखा हुआ दिखाई देगा: Enrol online (ऑनलाइन नामाँकन करें)।

आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

आपसे अपनी पहचान का प्रमाण देने के लिए कहा जाएगा, जैसे:

- ड्राइवर्स लाइसेंस
- पासपोर्ट।

मतदाता सूची में उपस्थित कोई अन्य व्यक्ति भी यह प्रमाणित कर सकता है कि वह आपको जानता/जानती है।

यदि आप चाहें, तो आप किसी अन्य व्यक्ति से अपनी सहायता करने के लिए पूछ सकते/सकती हैं।

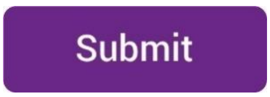

जब आप समाप्त कर लें, तो आपको उस बटन का प्रयोग करना होगा जिसपर दिखाई देगा: Submit (जमा करें)।

कागज़ पर नामाँकन करना

कागज़ पर नामाँकन करने के लिए आपको एक enrolment form (नामाँकन फॉर्म) भरना होगा।

आप किसी भी एईसी कार्यालय से enrolment form (नामाँकन फॉर्म) प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

यदि आप हमें कॉल करते/करती हैं, तो हम आपको डाक से एक enrolment form (नामाँकन फॉर्म) भेज सकते हैं।

हमारा नंबर 13 23 26 है।

आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

आपसे अपनी पहचान का प्रमाण देने के लिए कहा जाएगा, जैसे:

- ड्राइवर्स लाइसेंस
- पासपोर्ट।

मतदाता सूची में उपस्थित कोई अन्य व्यक्ति भी यह प्रमाणित कर सकता है कि वह आपको जानता/जानती है।

यदि आप चाहें, तो आप किसी अन्य व्यक्ति से अपनी सहायता करने के लिए पूछ सकते/सकती हैं।

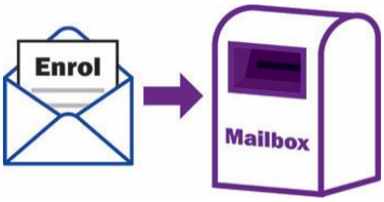

जब आप समाप्त कर लें, तो आपको उस फॉर्म को हमारे पास भेजना होगा।

आप:

- इसे हमारे पते पर डाक से भेज सकते/सकती हैं:

AEC

Reply Paid 9867

आपके राजधानी नगर में

आपको डाक टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी।

- इसे एक एईसी कार्यालय में ले जा सकते/सकती हैं। यदि आप हमें कॉल करते/करती हैं, तो हम आपके पास स्थित एक एईसी कार्यालय की खोज करने में आपकी सहायता कर सकते हैः

13 23 26

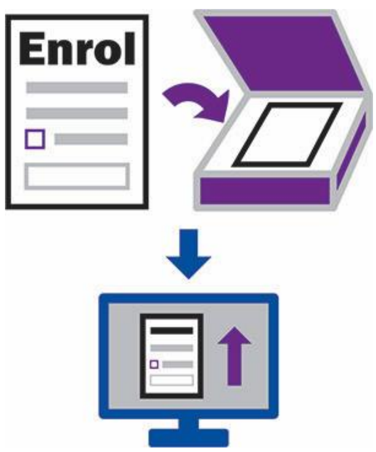

- इसे स्कैन करके हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते/सकती हैं।

www.aec.gov.au/return

आगे क्या होगा?

नामाँकन करने के कुछ सप्ताह बाद हम आपको एक पत्र भेजेंगे।

इस पत्र में बताया जाएगा कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज कर दिया गया है।

इसका अर्थ है कि आप संघीय चुनाव में मतदान कर सकते/सकती हैं।

यदि आपका पता बदल जाए, तो क्या होगा?

हरेक बार अपना निवास-स्थल बदलने पर आपको हमें बताना होगा।

इससे हमें मतदाता सूची को अद्यतन बनाए रखने में सहायता मिलती है।

यदि आप निवास के लिए एक नए घर में प्रवेश करते/करती हैं, तो कृपया एक नया enrolment form (नामाँकन फॉर्म) भरें।

क्या आपका नाम पहले से ही मतदाता सूची में है?

यह जाँच करना आसान होता है कि क्या आपका नाम पहले से ही मतदाता सूची में है।

आप:

- हमारी वेबसाइट पर जा सकते/सकती हैं www.aec.gov.au/check

- हमें फोन कर सकते/सकती हैं और हम आपके लिए जाँच करेंगे 13 23 26

- एक एईसी कार्यालय में जा सकते/सकती हैं और हम आपके लिए इसकी जाँच करेंगे।

आप और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते/सकती हैं?

यदि आप मतदान के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते/चाहती हैं, तो हमारे पास आपके पढ़ने के लिए 2 अन्य मार्गदर्शिकाएँ हैं:

- *मतस्थल पर मतदान कैसे करें*
- *डाक से मतदान कैसे करें।*

आप हमारी वेबसाइट से इन मार्गदर्शिकाओं को प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

www.aec.gov.au/assistance

अँग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का उपयोग करने वाले लोगों के लिए भी हमारी वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है।

शब्द सूची

नागरिक

नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे अपने निवास के देश के अधिकार और स्वतंत्रताएँ दी जाती है।

मतदाता सूची

मत करने वाले व्यक्तियों की सूची।

नामाँकन करना

जब आप अपना नामाँकन करते/करती हैं, तो हम मतदाताओं की एक सूची में आपका नाम दर्ज करते हैं।

संघीय चुनाव

संघीय चुनाव पूरे देश के लिए होता है।

इसके माध्यम से हम ऑस्ट्रेलिया की सरकार का चयन करते हैं।

मतदान करना

जब आप मतदान करते/करती हैं, तो आप इस बात का चयन करने में सहायता देते/देती हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार का हिस्सा कौन बनेगा।

मतदाता

वे व्यक्ति जो मतदान कर सकते हैं।

हमसे संपर्क करें

राष्ट्रीय रिले सेवा

टीटीवाई उपयोगकर्ता:

- इस नंबर पर फोन करें: 13 36 77
- इस नंबर से जोड़े जाने के लिए निवेदन करें: 13 23 26

स्पीक एंड लिसन उपयोगकर्ता:

- इस नंबर पर फोन करें: 1300 555 727
- इस नंबर से जोड़े जाने के लिए निवेदन करें: 13 23 26

इंटरनेट रिले उपयोगकर्ता:

- एनआरएस से कनेक्ट करें
- इस नंबर से जोड़े जाने के लिए निवेदन करें: 13 23 26

अन्य भाषाएँ:

- इस नंबर पर फोन करें: 1300 720 153

www.aec.gov.au

/AusElectoralCom/

@AusElectoralCom

@auselectoralcom

सूचना पहुँच समूह ने स्टॉक फोटोग्राफी और कस्टम चित्रों का उपयोग करके पढ़ने में आसान इस मार्गदर्शिका को तैयार किया है।

अनुमति के बिना चित्रों का पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है। चित्रों के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए कृपया www.informationaccessgroup.com पर जाएँ। जॉब नंबर 3035-A का प्रयोग करें।

उप चुनाव आयुक्त, कैनबरा द्वारा प्राधिकृत।